

भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग
प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा प्रथम) का कार्यालय, मध्य प्रदेश,
ऑडिट भवन झांसी रोड, ग्वालियर 474 002
amg2hqrs.mp1.au@cag.gov.in

लेखापरीक्षा प्रबंधन समूह-द्वितीय के दल क्रमांक-01 का दौरा कार्यक्रम

'FABA on Take Home Ration (THR)'

Sh A U Siddiqui /Sr AO	Sh. Sumant Singh/AAO	Sh. Rahul Bajpai/Sr Ar
MPGWB 3111349	MPGWB 3111557	-

क्र.	कार्यालय	कार्य दिवस	अवधि
प्रस्थान: षिवपुरी		दिनांक 29.09.21 (प्रातः)	
1	जिला कार्यक्रम अधिकारी, आई.सी.डी.एस. षिवपुरी	03	29.09.2021 से 01.10.2021
प्रस्थान: ग्वालियर		दिनांक 01.10.2021 (रात्रि) / 02.10.2021	
श्री सुमंत सिंह, स.ले.प.अ. दिनांक 30.09.2021 को प्रातः षिवपुरी के लिये प्रस्थान लेकर कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी, आई.सी.डी.एस. षिवपुरी में कार्यभार ग्रहण करेंगे।			

JE0{É-

- फाबा के लिए कवरेज अवधि तीन वर्ष अर्थात् वर्ष 2018-19 से 2020-21 तक की होगी।
- FABA दल FABA से संबंधित योजना/कार्यो का समस्त प्राथमिक अभिलेखों की स्कैन कॉपी/फोटो कॉपी एकत्र कर उसके आधार पर ज्ञापन जारी करेगा। फाबा से संबंधित आवंटन-व्यय, बैंक लेन-देन, रोकड़ बही, पंजियां, फाइलें, कार्य पंजियों के अतिरिक्त PFMS, MIS, Portals से जानकारी की हार्ड एवं सॉफ्टकॉपी में एकत्र करेगा।
- FABA के दौरान आधार अभिलेखों का स्केनिंग समुचित रूप से करें ताकि दुबारा आधार अभिलेखों के लिए इकाई पर नहीं जाना पड़े।
- FABA के दौरान वांछित अभिलेखों को स्पष्ट रूप से इंगित करते हुए मांग की जाएं। योजना/नियम अनुसार संधारित होनेवाले अभिलेख/पंजी संधारित न होने एवं वांछित अभिलेख प्रस्तुत नहीं करने पर तत्काल समूह अधिकारी को सूचित करें।
- Any other work as and when directed by higher authorities should also be done by the team members.

(प्राधिकार:-उपमहालेखाकार के आदेश दिनांक 28.09.2021)

s.d./-

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी एएमजी-2 (मुख्यालय)